

परियोजना का नाम:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 हे0 सिविल वनभूमि का लां0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- ग्वाड

तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली- किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.200 हे0 सिविल वन भूमि लोक निर्माण विभाग गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम ग्वाड द्वारा दिनांक 10.7.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि काय है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्वाड की 1.090 हे0 सिविल भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-कण्डूरा
दि 08/08/2014 कर्णप्रयाग

ह0/-



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

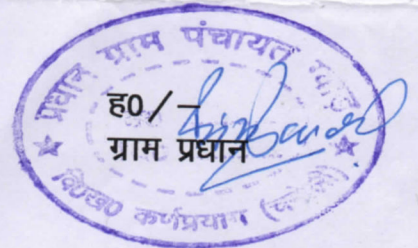
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 है0 सिविल वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

दिनांक 10.07.19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - ग्वाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित दूरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	प्रेमसिंह	प्रेमसिंह
02	गोविन्द सिंह	Govind Singh
03	बचन सिंह	बचन सिंह
04	रघुनाथ सिंह	रघुनाथ सिंह
05	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
06	भजन सिंह	भजन सिंह
07	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
08	पुष्क प्रकाश सिंह	पुष्क प्रकाश सिंह
09	महिपाल सिंह	Mahipal Singh
10	मन्दन सिंह	Mandan Singh
11	धन सिंह	धन सिंह
12	शुभम लाल	Shubham Lal
13	शेखन सिंह	Shohan

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-कम्बुज
दि 08/07/2019 कर्णप्रयाग



परियोजना का नाम:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 हे0 सिविल वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-

रिखोली

तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली- किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.200 हे0 सिविल वन भूमि लोक निर्माण विभाग गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम रिखोली द्वारा दिनांक 01/07/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि काय है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्वाड की 0.880 हे0 सिविल भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत रिखोली
हस्ताक्षर
दि 01/07/19 कर्णप्रयाग

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
दिनांक 01/07/19
तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे० सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 है० सिविल वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 21/07/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - रिठोली

[illegible]

प्रमाण पत्रावर स्वाक्षरी
दि ०२/०८/२०२० कलकत्ता



परियोजना का नाम:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 हे0 सिविल वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- कनखुल तल्ला

तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली- किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.200 हे0 सिविल वन भूमि लोक निर्माण विभाग गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम कनखुल तल्ला द्वारा दिनांक 5/7/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि काय है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनखुल तल्ला, की 0.230 हे0 सिविल भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
दि 05/07/2019 कर्णप्रयाग



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

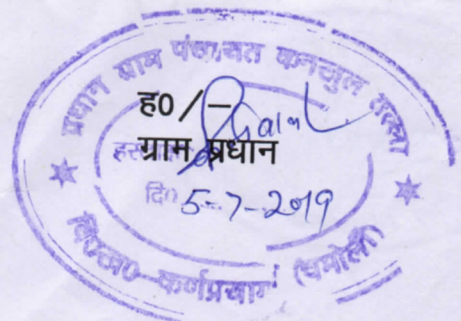
मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे० सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 है० सिविल वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक ०७/७/१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - कनखुल तल्ला

[illegible]

14 0780 कृष्णम



परियोजना का नाम:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 हे0 सिविल वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण स्तरीय समिति-गैरसैण

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल वन भूमि 2.100 हे0 व मक डिस्पोजल 0.100 हे0 अर्थात् कुल 2.200 हे0 सिविल भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 28/1/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1- श्री बैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग अध्यक्ष।

2 श्री अमरेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, सदस्य।

3- श्री सुनीता देवी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव

(i) श्री उमोद सिंह सदस्य
(ii) श्री सुनीता देवी सदस्य

4- (iii) श्री बृजेश निरु बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु के निर्माण हेतु 2.200 हे0 सिविल वन भूमि भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।

ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अमरेश कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार रागिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.200 हे0 सिविल वन भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated-19/10/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.200** hectares of Civil Forest land proposed to be diverted in Favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "**Gwad-Didoli-Riktoli-partoli-Kimoli Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction "Kankhul talla, Gwad, Kimoli, in **Karanparyag** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.200** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Kankhul talla, Gwad, Kimoli' sub- Division level Committee Karanparyag and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Divisional Forest Officer
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

District Social Welfare Officer
Chamoli

जिला अधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

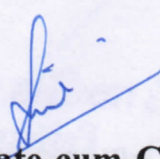
A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 19/10/2020 at time 15.00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Civil Forest Land area measuring **2.200** hect for the construction of motor road "**Gwad-Didoli-Riktoli-partoli-Kimoli Motor road**" under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanparyag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

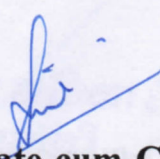
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated:.....
19/10/2020


District Social Welfare Officer
प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee


जिला अधिकारी
चमोली


District Social Welfare Officer
Chamoli